कार्यालय नगर पालिका परिषद पिलखुवा जनपद–हापुड।

पत्रांक 1259 /निर्माण अनु0/2020–21 दिनांक 29/12/2020

ई–निविदा आमन्त्रण सूचना

नगर पालिका परिषद पिलखुवा को शासन से स्वच्छ भारत मिशन नगरीय अर्न्तगत मैटैरियल रिकवरी फैसेलिटी मद की प्राप्त धनराशि से ई–निविदा आमन्त्रण सूचना संख्या 1258 /निर्माण अनु0/2020–21 दिनांक 29\12\020 मे वर्णित कार्यो हेतु ई–निविदाएं आमन्त्रित की जाती है । उक्त कार्यो के लिये क्लास "ए", "बी", "सी", "डी" जो आवश्यक हो श्रेणी के ठेकेदार/फर्म शासनादेशो मे वर्णित दिशानिर्देशो के अनुसार ही निविदा डालने योग्य होगे। ई–निविदा संबंधित समस्त विवरण व शर्ते शासन की वेबसाइट **www.etender.up.nic.in** पर उपलब्ध है। संबंधित ई–निविदाओ को निम्नलिखित तिथियो तक अपलोड किया जा सकता है एवं प्राप्त ई–निविदाओ को उनके सम्मुख दर्शायी गयी तिथियो पर खोला जायेगा।

टेण्डर शेडयूल (www.etender.up.nic.in)

क0सं0	नगर पालिका		प्रारम्भ दिनांक एवं समय	अन्तिम दिनांक एवं समय
1-	**Tender Release**			
		Tender Download	**31-12-2020 16:00**	**15-01-2021 16:00**
		Tender Submission	**31-12-2020 16:00**	**15-01-2021 16:00**
	Bid Opening		**16-01-2021 15:00**	

नोटः– ई– निविदा की शर्तो एवं किसी परिवर्तन/संशोधन व अतिरिक्त सूचना के लिए उक्त वेबसाईट देखते रहे।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पिलखुवा

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद पिलखुवा

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित की सेवा मे सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, हापुड।
2. अपर जिलाधिकारी महोदय (वि0/रा0) हापुड।
3. उपजिलाधिकारी महोदय, धौलाना।
4. प्रभारी एन0आई0सी0 हापुड को उक्त निविदा/कुटेशन वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सादर प्रेषित।
5. सम्पादक, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि अपने समाचार पत्र मे कम से कम स्पेश मे शासकीय दर पर उपरोक्त निविदा सूचना का प्रकाशन करने का कष्ट करे।
6. कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा/गार्ड फाईल हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पिलखुवा।

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, पिलखुवा (हापुड़)

पत्रांकः 1258 /नि0अनु0/न0पा0पि0/2020–21 दिनांक :- 29/12/2020

ई–निविदा आमन्त्रण सूचना

नगर पालिका परिषद, पिलखुवा द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 मे स्वच्छ भारत मिशन नगरीय अर्न्तगत मैटेरियल रिकवरी फैसेलिटी मद के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि के अर्न्तगत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सपठित नियमो व शर्तो के अर्न्तगत निम्नलिखित कार्यो हेतु ई–निविदाये आमंत्रित की जाती है।

क0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत /निविदा प्रपत्र का मूल्य जी0एस0टी0 सहित/ 2 प्रतिशत धरोहर राशि	कार्यावधि	ई–निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	ई–निविदा खोलने की तिथि
1	नगर पालिका परिषद पिलखुवा, हापुड सीमान्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के अर्न्तगत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन मद मे मैटिरियल रिकवरी फैसेलिटी का निर्माण कार्य।	3779000 3800.00 75580.00	03 माह	15.01.2021	16.01.2021

शर्तेः–

1. निविदादाता के पास निर्माण कार्य की ठेकेदारी करने हेतु आर्हता सबंधित प्रमाण पत्र मूलरुप से होना अनिवार्य होगां।
2. शासनादेश सं0 3/2017/1067/78–2–2017–42आई0टी0/2017 अनुभाग–2 दिनांक 12.05.17 के अनुसार ई–निविदा शुल्क व धरोहर धनराशि के भुगतान हेतु आनलाईन प्रकिया अपनायी जायेगी एवं ई–निविदा पोर्टल पर संबंधित फर्म द्वारा स्वंय अपने डिजिटल हस्ताक्षरों से निविदा हेतु बी0ओ0क्यू0 डाउनलोड एवं अपलोड की जायेगी, एवं जमा रसीद अपलोड करानी होगी। निविदा शुल्क व धरोहर धनराशि एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से बैंक खाता सं0 85592200027536 आई0एफ0एस0सी0 कोड **SYNB0008559** सिंडिकेट बैंक शाखा पिलखुवा में जमा करायी जायेगी । जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, पिलखुवा के नाम बंधक हो जिसकी छायाप्रति निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा मूलप्रति सीलबन्द लिफाफे पर फर्म एंव कार्य का नाम अंकित कर पालिका कार्यालय कक्ष में रखें निविदा बॉक्स में दिनांक 15.01.2021 को अपरान्हः 16:00 बजे तक डाल सकते है।
3. ई–निविदादाता को सभी वाछित प्रमाण पत्रो की जिसमे आनलाईन निविदा शुल्क और धरोहर धनराशि की जमा रसीद 100रु स्टॉम्प पेपर की मूलप्रति एवं अन्य अभिलेखो हैसियत प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, जी0एस0टी0एन, लेबर सैस रजि0 न0, पैन कार्ड", इनकम टैक्स रिर्टन 3 वर्ष एवं आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि की स्पष्ट व पठनीय स्कैन प्रतिया वेबसाईट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा अपठनीय एवं अस्पष्ट दस्तावेज टेण्डर के साथ अपलोड होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी। जिसका उत्तरदायित्व स्वंय ठेकदार/फर्म होगा। निविदा स्वीकृति समस्त प्रपत्रों, प्रमाण पत्रो एवं अपलोडिड की मूल प्रति समय से कार्यालय मे सीलबन्द लिफाफे के द्वारा जमा करने पर परीक्षण उपरान्त स्वीकृत की जायेगी, मात्र पोर्टल पर निविदा स्वीकार किया जाना पर्याप्त नहीं होगा।
4. निविदा की वैधता निविदा प्राप्ति के दिन से 90 दिनो के लिये होगी। वैधता की अवधि मे निविदा को वापस नही लिया जायेगा।
5. निविदा डालने हेतु निविदादाता को उपरोक्त वेवसाईट पर पंजीकृत कराना अनिवार्य है। निविदा डालने हेतु निविदादाता के पास किसी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सर्टिफाईग प्राधिकरण द्वारा जारी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके न होने पर निविदा डालना सम्भव नही होगा।
6. आई0टी0बी0 के क्लाज सं0–44 बी0(सी0) (i) के अनुसार कोई भी निविदादाता जिनका संबंधित अथवा उनकी पत्नी को कोई निकट संबंधी (प्रथम रक्त संबंधी अथवा उनकी पत्नी) खण्डीय लेखाधिकारी के रुप मे कार्यरत हो अथवा अधिशासी अधिकारी स्तर से अवर अभियंता स्तर तक (दोनो का सम्मिलित करते हुये) कार्यदायी खण्ड/वृत मे कार्यरत होगी, वह निविदा डालने के लिये योग्य नही होगा। निविदादाता द्वारा यह शपथ पत्र भी दिया जायेगा, जिसम उसके संबंधियो क नाम तथा उनके पदनाम का उल्लेख होगा, जो कि कार्यदायी खण्ड एवं उससे संबंधित वृत मे कार्यरत हो।
7. आई0टी0बी0 के कलॉज–44 बी (सी) (ii) के अनुसार कोई राजपत्रित अभियंता अथवा राजपत्रित अधिकारी जो कि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के प्रशासकीय विभाग मे कार्यरत हो सेवानिवृति की अवधि दो वर्ष के बाद तक बिना सरकार के अनुमति के ठेकेदारी के काम के लिये प्रतिबन्धित होगे। ऐंसी स्थिति मे यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि/कर्मचारी ने निविदा डालने से पहले राज्य सरकार से अनुमति नही ली है तो उसका ठेका निरस्त किया जा सकता है। निविदादाता द्वारा इस आशय का शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. निविदा से संबंधित विवरण निविदा डालने हेतु योग्यता एवं पात्रता, ड्राईग विशिष्टियो मात्राओ का विवरण एवं ठेके की अन्य शर्तो जिनका ठेकेदार द्वारा पालन किया जाना है की संबंधित अधिशासी अधिकारी के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस मे पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक की जा सकती है।
9. निविदा डालने से पूर्व निविदादाता द्वारा कार्य स्थल एवं आगणन का अवलोकन करने के उपरान्त निविदा डाली जायेगी।
10. ऐसे निविदादाता जिनका आपराधिक रिकार्ड है वह टैण्डर प्रकिया मे भागीदारी नही कर सकेगे।
11. कोई भी निविदादाता जा राज्य विधि कौसिंल मे पंजीकृत हो, निविदा देने से प्रतिबन्धित होगे।(निविदा डालने के योग्य नही होगे।)।
12. निविदादाता को निविदा के साथ रु0 100/– का स्टॉम्प पेपर रु0 1/– का रसीदी टिकट लगाकर हस्ताक्षर युक्त संलग्न करना अनिवार्य होगा।

13. प्रत्येक निविदादाताको निविदा के मूल्यांकन हेतु 100/–के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र पर शपथ पत्र आनलाईन एवं मूल मे देना अनिवार्य है।
14. निविदादाता का प्रत्येक निविदा के लिये सभी सूचनाये निर्धारित प्रारुप पर (टी–4, टी–5) सक्षम अधिकृत हस्ताक्षरी से हस्ताक्षरित कराकर तथा टी–6 आदि मूल मे प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
15. कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुसार मात्राओ मे विचलन हो सकता है, जिसके लिये ठेकेदार बाध्य होगा। कार्य स्थल पर/कार्यालय से पत्राचार हेतु /कार्यालय से किसी भी कार्य के सम्पादन हेतु अधिकारियों से सम्पर्क हेतु संबधित फर्म के स्वामी /ठेकेदार की उपस्थिति ही मान्य होगी एवं ठेकेदार के किसी प्रतिनिधि अथवा उसके द्वारा किसी अन्य को मुखत्यार आम करना किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा, क्योंकि समस्त प्रकिया डिजिटल है, इसलिये संबधित फर्म ठेकेदार द्वारा अधीनस्थों से किसी प्रकार का सम्पर्क नहीं किया जायेगा।
16. नगर पालिका परिषद पिलखुवा में भुगतान हेतु पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से डी0बी0टी0 प्रकिया लागू हैं। निविदादाता को पोर्टल पर बेनिफियेसरी के रूप में पंजीकृत होना प्रत्येक दशा में अनिवार्य होगा, इसके लिये न्यूनतम निविदादाता फर्म को अपना बैंक खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड, बैंक का नाम, आधार नम्बर, पेन नम्बर, जी0एस0टी0 पंजीकरण नम्बर, निवास का पूर्ण पता, मोबाईल नम्बर नगर पालिका परिषद पिलखुवा के पोर्टल पर अपलोडर अर्थात् लेखाकार नगर पालिका परिषद पिलखुवा को उपलब्ध कराकर पंजीकृत होना होगा तथा दी गई सूचना की शुद्धता के लिये संबधित फर्म व्यक्तिगत रूप से उत्तरदांयी होगी। संबधित फर्म द्वारा भुगतान के लिये कार्यालय के अधीनस्थों निर्माण लिपिक, लेखाकार एवं अन्य अधिकारियों से सम्पर्क नहीं किया जायेगा, उनके द्वारा भुगतान के लिये आहरण वितरण अधिकारी अध्यक्ष से अनुरोध किया जायेगा।
17. निविदा सूचना मे प्रकाशित कार्यो के लिये डिफैक्ट लाइबिलिटी समयावधि कार्य पूर्ण करने की तिथि से 05 वर्ष तक शासनादेश संख्या 24 वीआईपी(1)/नौ–5–2017–120बजट/13 दिनांक 24.08.2017 के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि से होगी एवं इस हेतु संबधित फर्म के बिल से 05 प्रतिशत परफॉरमेंस गारण्टी शासकीय आदेशों के अनुसार बिल से रोकी जायेगी, जो 05 वर्ष उपरान्त कार्य स्थल के निरीक्षण उपरान्त कार्य संतोषजनक होने पर भुगतान की जायेगी। निर्धारित अवधि 05 वर्ष में यदि निर्माण कार्य में इतनी खराबी पायी जाती है, कि परफॉरमेंस गारण्टी 05 प्रतिशत से कमी को सुधारा नहीं जा सकता है, तो इस कार्य के सुधार पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति संबधित फर्मो के अन्य बिलो से की जायेगी एवं इस राशि की प्रतिपूर्ति बिलो से भी संभव न हो तो संबधित फर्म से धनराशि की वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप में करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी अथवा अध्यक्ष नगर पालिका परिषद पिलखुवा में निहित रहेगा।
18. निविदादाताओ का जी0एस0टी0 मे पंजीकृत होना अनिवार्य है। संबधित फर्म द्वारा जी0एस0टी0 की धनराशि प्राप्त करने के लिये सर्वप्रथम जी0एस0टी0 को केन्द्र सरकार के कोष में जमा कराना होगा एवं नगर पालिका परिषद पिलखुवा के जी0एस0टी0एन नम्बर **09AAALN2053M1ZS** पर जी0एस0टी0एन0 पोर्टल के माध्यम से आर–1 पर टैक्स इनवाईस दाखिल करनी होगी एवं पोर्टल पर प्रदर्शित होने के उपरान्त जी0एस0टी0 की धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिये प्रचलित नियमों के अनुसार समस्त संलग्नकों सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इस हेतु भी कार्यालय अधीनस्थों निर्माण लिपिक, लेखाकार एवं अन्य अधिकारियों से सम्पर्क नहीं किया जायेगा। आहरण वितरण अधिकारी अध्यक्ष से अनुरोध किया जायेगा।
19. बी0ओ0क्यू मे जी0एस0टी0 को छोडकर समस्त प्रकार के कर, रायल्टी तथा लाभांश आदि सम्मिलित है।
20. समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग, एम0ओ0आर0टी0एच0/एम0ओ0आर0डी0 की विस्तृत विशिष्टियो के अनुरुप सम्पादित किया जायेगा।
21. ठेकेदारो के वर्गीकरण एवं पंजीकरण के लिये नगर पालिका परिषद पिलखुवा की ठेकेदारों के पंजीकरण एवं नवीनकरण नियमावली /उपविधि 2017 यथासंशोधित पत्रांक 914/उपविधि/2018–19 दिनांक 15.11.2018 के अंतर्गत एवं मुख्य अभियन्ता यू0पी0 पी0डब्लू0डी के पत्र संख्या–362/एम0टी0जी0/70एफ–68 दिनांक 08.10.82 के अनुसार एवं संशोधन शासनादेश संख्या–3460/23–7–08–41 एस0एस0ए0/54टी0सी0/।।। लोकनिर्माण अनुभाग–7 लखनऊ दिनांक 28.07.2008 के अनुसार ही रजिस्ट्रेशन की प्रकिया अमल मे लायी जायेगी।
22. निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा मे शासनादेश सं0 622/23–12–2012–2आडिट/09 टी0सी0–2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक निम्न दरे प्राप्त होने पर 0.50 प्रति प्रतिशत दर तथा 10 प्रतिशत से ज्यादा निम्न दरो पर 1.00 प्रति प्रतिशत की दर मे परफोर्मेस गारंटी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा करने के उपरान्त अनुबंध किया जायेगा। निविदातादाता द्वारा उक्त अतिरिक्त प्रफोरमेन्स गारटी जमा किये जाने पर निविदा के साथ जमा की गयी धरोहर राशि को पालिका पक्ष मे जब्त कर ली जायेगा। जिसका उत्तरदायित्व निविदाता का होगा। निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र तैयार कर प्रस्तुत करना संबधित फर्म का व्यक्तिगत उत्तरदांयित्व होगा एवं अनुबन्ध पर संबधित फर्म के मूल स्वामी /ठेकेदार के हस्ताक्षर ही मान्य होगें।
23. कार्य कराने हेतु निविदातादाताओ को अनुभवी/तकनीकी स्टाफ रखना अनिवार्य है।
24. सशर्ते ई–निविदा स्वीकार नही होगी।
25. किसी भी ई–निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष महोदय नगर पालिका परिषद पिलखुवा को होगा।
26. ई–निविदा के संबंध मे किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर न्यायिक क्षेत्राधिकारी हापुड होगा।
27. कार्य स्थल का निरीक्षण निविदादाता को टेण्डर देने के पूर्व करना होगा बाद मे किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नही होगी।
28. निविदा स्वीकृत होने की उपरान्त 3 दिन के अन्दर निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध करना एवं लेबर सैस मे पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।
29. स्वीकृत निर्माण कार्य का भुगतान शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार तथा कार्य की गुणवत्ता एवं शासन से/पालिका मे धन उपलब्ध होने पर किया जायेगा। पालिका में धन की उपलब्धता के परीपेक्ष्य में संबधित फर्म द्वारा अधीनस्थों से सम्पर्क नहीं किया जायेगा अपितु आहरण वितरण अधिकारी अध्यक्ष से अनुरोध किया जायेगा।
30. निर्धारित अवधि मे कार्य पूर्ण न करने की दशा मे नियमावली के अनुसार अर्थदण्ड देय होगा एवं अनुचित विलम्ब की दशा में सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म को नई निविदायें देने पर रोक लगा दी जायेगी, तथा ब्लैक लिस्ट करने आदि कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।
31. निविदाता को संबंधित निर्माण कार्य का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिये। अनुभव प्रमाण पत्र वेबसाईट पर अपलोड व मूल प्राप्त कराना अनिवार्य होगा।
32. निवादादाता का निर्माण कार्य की धनराशि से 50 प्रतिशत का टर्नओवर प्रतिवर्ष होना चाहिये।

33. संबंधित निवादादाता द्वारा अपने 03 वित्तीय वर्ष का टर्नओवर प्रमाण पत्र व बेलेन्स शीट आदि सी०ए० के प्रमाण पत्र सहित वेबसाईड व मूल रुप मे प्राप्त करानी होगी।
34. निविदाओ के संबंध मे शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा।
35. निविदा स्वीकृति उपरान्त अनुबन्ध के समय 08 प्रतिशत जमानत राशि ठेकेदार द्वारा अधिशासी अधिकारी के पदनाम बंधक कराते हुए केन्द्र सरकार की शीर्ष प्राथमिकता के अनुसार एन०एस०सी० के रूप में जमा करनी होगी जो कि अधिशासी अधिकारी के पदनाम बंधक होगी। एफ०डी०आर० के रूप में यदि ठेकेदार द्वारा जमानत राशि जमा करायी जाती है, तो वह राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी स्वीकार्य होगी। यदि फर्म द्वारा अनुबन्ध के साथ एफ०डी०आर० /एन०एस०सी० जमा नहीं की जाती है, तो उसका लिखित कारण कार्यालय में प्रस्तुत करते हुए बिल से कटौती करने की स्वीकृति का अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। वित्तीय नियमों के अनुसार जमानत राशि अवमुक्त करने का समय छः माह अथवा एक बरसात बीतना निर्धारित हैं। परन्तु यह ठेकेदार का अधिकार नहीं है, संबधित फर्म /ठेकेदार द्वारा निर्धारित अवधि बाद अपनी जमानत राशि अवमुक्त करने हेतु लिखित आवेदन ई–मेल के माध्यम से अथवा व्यक्गित रूप से डाक में प्राप्त कराना होगा, इसके पश्चात् सक्षम अधिकारी के आदेश उपरान्त कार्य स्थल का निरीक्षण संबधित अवर अभियंता को कराना होगा। संबधित अवर अभियंता चाहें तो लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता /अधिशासी अभियंता से कार्य स्थल का निरीक्षण करा सकते है एंव कार्य संतोषजनक मानक अनुसार होने पर कार्य में कोई टूट फूट नहीं होने पर अभियंताओं की तकनीकी रिपोर्ट के उपरान्त संबधित कस्टोडियन/निर्माण लिपिक द्वारा समस्त प्रपत्रों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए एफ०डी०आर० /एन०एस०सी० को बंधक कराकर तामीला कराया जायेगा। इस प्रकिया में किसी भी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जायेगी।
36. कार्य के लिये निर्धारित कार्य समाप्ति की अंतिम तिथि तक कार्य प्रारम्भ न होने पर संबधित फर्म की जमानत राशि निकाय पक्ष में जब्त कर ली जायेगी, एवं भविष्य के लिये संबधित फर्म को निविदा देने पर रोक लगा दी जायेगी। यदि संबधित फर्म /ठेकेदार कार्य को इस अवधि के उपरान्त करना चाहती है, तो कार्य को प्रारम्भ करने में हुए विलम्ब का कारण लिखित रूप से प्रस्तुत करते हुए समय से वृद्धि की मांग करेगी एवं समय वृद्धि का आदेश प्रदान होने के उपरान्त ही कार्य को प्रारम्भ करेगी। समय अवधि में वृद्धि प्राप्त न करके प्रारम्भ किया हुआ कार्य इस प्रकार माना जायेगा, जैसे कि निकाय द्वारा कार्य कराया ही नही गया हो। इसी प्रकार कार्य नियत तिथि में पूर्ण न करने पर संबधित फर्म द्वारा निश्चित अवधि में कार्य पूर्ण न होने का कारण उल्लिखित करते हुए समय अवधि में वृद्धि की मांग किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। संबधित फर्म द्वारा अपने कार्य से संबधित किसी भी कार्य हेतु अभिलेख की मांग हेतु, अथवा किसी अन्य किसी अनुरोध हेतु मौखिक आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। फर्म को लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जो कि कार्यालय की डाक में अथवा ई–मेल के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा। संबधित अनुभाग में फर्म द्वारा अधीनस्थों से सम्पर्क नहीं किया जायेगा।
37. ठेकेदार/फर्म द्वारा एन०जी०टी० द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों को स्वंय अपने विवेक से पालन करना प्रारम्भ किया जायेगा। इसके लिये अलग से पालिका द्वारा निर्देश जारी नहीं किये जायेगें और पर्यवेक्षण के समय आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर एन०जी०टी० के नियमों के अनुसार अर्थदण्ड आरोपित कर दिया जायेगा।
38. ठेकेदार/फर्म द्वारा वेस्ट मेटेरियल को नगर पालिका परिषद पिलखुवा के सी०एण्डडी० वेस्ट मैटेरियल रिकवरी सेंटर स्थिल आवासीय कॉलोनी निकट एस०टी०पी० पर प्रत्येक दशा में पहुंचाना होगा, उल्लंघन की दशा में अर्थदण्ड देय होगा।
39. ठेकेदार /फर्म द्वारा अपनी लेबर को आवश्यक सुरक्षा उपकरण स्वंय अपने व्यय पर उपलब्ध कराये जायेगें।
40. संबधित फर्म/ ठेकेदार द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल का पूर्ण पालन किया जायेगा। कार्य स्थल पर श्रमिकों के लिये मूवेबल टायलेट की व्यवस्था स्वंय अपने व्यय पर करना अनिवार्य होगा इसके लिये पालिका द्वारा कोई व्यय अथवा सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी, और उल्लघन पर निर्धारित अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।
41. फर्म /ठेकेदार को नगर पालिका परिषद पिलखुवा द्वारा अपने उपकरण यथा पेयजल टैंकर अथवा जे०सी०बी० उपलब्ध न कराये जायेगें और न ही ठेकेदार /फर्म द्वारा इसकी मांग की जायेगी।
42. संबधित फर्म /ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर कचरा संग्रहण के लिये गीला और सूखा कचरा संग्रहण के लिये डस्टबिन रखवा दिये जायेगें और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि श्रमिक कचरा व कूड़ा नहीं फैलाये। उंल्लघन पर निर्धारित अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।
43. फर्म/संस्था द्वारा कार्यस्थल पर कार्य प्रगति से संबधित आवश्यक संकेतक इस प्रकार लगाये जायेगें कि आवागमन के समय किसी प्रकार की दुर्घटना घटित न हों।
44. करों, उपकरों, एवं रायल्टी के संदर्भ में समय–समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेश /निर्देश /शासनादेश स्वतः ही लागू माने जायेगें।
45. कार्य संबधित किसी भी वाद–विवाद के लिये, भुगतान संबधी समस्या के लिये अथवा कार्य संबधी अन्य किसी समस्या के समाधान के लिये सर्वप्रथम अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद पिलखुवा का अधिकार क्षेत्र होगा। समस्या का निदान न होने पर क्षेत्रीय मा० न्यायालय, जनपद हापुड़ का अधिकार क्षेत्र होगा।

अधिशासी अधिकारी श्रेणी–1
नगर पालिका परिषद, पिलखुवा
जनपद–हापुड़।

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, पिलखुवा
जनपद–हापुड़।